न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

अपील एल.आर. संख्या 99/2011/ जिला–नागौर (2011/00050)

1. नटवरलाल पुत्र भंवरलाल
2. दिनेश पुत्र भंवरलाल
3. विष्णु पुत्र भंवरलाल
4. संतोष पुत्री भंवरलाल
   समस्त जाति ब्राहम्ण निवासी ततारपुरा तहसील मकराना जिला नागौर जरिये मुख्त्यारआम रामूराम पुत्र नथमल शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी मामडोली तहसील मकराना
5. कमला देवी पत्नी रामूराम
6. महेश पुत्र रामूराम
   जाति ब्राहम्ण निवासी मामडोली तहसील मकराना।

.... अपीलांट्स

बनाम

1. किशन पुत्र पूर्णमल जाति ब्राहम्ण निवासी मामडोली तहसील मकराना
2. नारायणराम पुत्र सुरजाराम जाट निवासी बोरावड़ तहसील मकराना
3. सुगनाराम पुत्र उदाराम जाट निवासी मामडोली
4. परमाराम पुत्र उदाराम जाट निवासी मामडोली, तहसील मकराना
5. तहसीलदार, मकराना

.... रेस्पोन्डेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजथान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व निर्णय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना दिनांक 15–4–2011 अपील संख्या 31/2010 बउनवान किशन बनाम नारायणराम वगैरह

उपस्थित : 1. श्री लेखू मंघानी अभिभाषक अपीलांट्स
2. श्री भवानी सिंह, गिरीश शर्मा अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट्स

निर्णय

दिनांक :– 31–10–2017

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम मामडोली में स्थित विवादग्रस्त आराजियात खसरा नम्बर 177, 176 तथा 203 व 198 की कुल 33

बीघा 2 बिस्वा भूमि के मूल खातेदार रामचन्द्र थे। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 किशन पुत्र पूर्णमल ने तहसीलदार, मकराना द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 482 दिनांक 12–8–2010 के विरूद्ध एक अपील न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना के समक्ष प्रस्तुत की जिसे उन्होंने अपीलांट की अपील स्वीकार कर तहसीलदार, मकराना द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 482 दिनांक 12–10–2010 को निरस्त करते हुए प्रकरण तहसीलदार मकराना को प्रतिप्रेषित करते हुए निर्देशित किया कि वह तुलसी देवी के वारिसान के नाम बाद दोनों पक्षकारों को सुनकर व साक्ष्य के आधार पर व न्यायालय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, परबतसर के निर्णय दिनांक 24–7–2006 या अन्य उच्च न्यायालय के निर्णय/आदेशों की पालना में विधिसम्मत निर्णय पारित करे। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलांट्स द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये तथा संबंधित अभिलेख तलब किया गया। दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान तर्क दिये कि विवादग्रस्त आराजियात के मूल खातेदार रामचन्द्र की मृत्यु के बाद उक्त भूमि चौसाला खतौनी सम्वत 2021–2024 में जरिये नामान्तरकरण संख्या 75 के द्वारा मृतक रामचन्द्र के स्थान पर उनके पुत्र मांगीलाल, मन्नालाल व पूर्णमल प्रत्येक का 1/3 हिस्सा दर्ज किया गया। मांगीलाल व मन्नालाल की मृत्यु होने के कारण पूर्णमल ने राजस्व अधिकारियों एवं कर्मचारियों से मिलीभगत कर उक्त समस्त भूमि अपने नाम दर्ज करा दी जबकि पूर्णमल का केवल 1/3 हिस्सा ही था परन्तु उन्होंने मांगीलाल के विधिक वारिसान अपीलांट संख्या 1 से 4 व मन्नालाल के वारिस उनकी पत्नी तुलसी देवी का 1/3 हिस्सा भी अपने नाम दर्ज करवा लिया। विवादग्रस्त आराजियात के मूल खातेदार की विवादग्रस्त आराजियात के विधिक वारिसानों के मध्य आपसी बंटवारा के आधार पर रामचन्द्र के तीनों वारिसों में नाम 11 बीघा भूमि प्रत्येक के हिस्से में आयी। स्व0 पूर्णमल ने खसरा नम्बर 198 रकबा 5 बीघा 2 बिस्वा भूमि में से 4 बीघा 10 बिस्वा भूमि चैन सिंह को बेच दी और उक्त भूमि चैन सिंह के नाम दर्ज भी हो गई। इस प्रकार स्व0 पूर्णमल के केवल 6 बीघा 13 बिस्वा भूमि ही शेष रही किन्तु पूर्णमल की मृत्यु के बाद समस्त कृषि भूमि वर्तमान रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 किशनलाल (पुत्र स्व0 पूर्णमल) व उनकी माता रामेश्वरी(पत्नी स्व0 पूर्णमल) के नाम दर्ज हो गई।

उनका यह भी तर्क है कि वर्तमान रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 किशनलाल व उनकी माता ने 28 बीघा भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 24–7–2006 को रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2, 3 व 4 को बेच दी। वर्तमान अपीलांट व तुलसीदेवी ने माननीय अति0 जिला न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक) परबतसर के समक्ष दिनांक 24–7–2006 को रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 व 4 के नाम तस्दीक किये गये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को निरस्त कराने एवं स्थाई निषेधाज्ञा के लिए वाद पेश किया जो माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 20–4–2009 को अपीलांट्स के पक्ष में स्वीकार

किया जाकर दोनों रजिस्टर्ड विक्रय पत्रों को शून्य घोषित किया गया तथा वर्तमान अपीलांट्स व तुलसी देवी को सम्पूर्ण भूमि का 1/3 हिस्से का स्वामी व खातेदार घोषित किया गया। माननीय अति0 जिला न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक) परबतसर के निर्णय दिनांक 24–4–2009 की प्रति तहसीलदार, मकराना को प्रेषित कर अपीलांट्स व तुलसी देवी ने निर्णय अनुसार कृषि भूमि उनके नाम दर्ज करने हेतु निवेदन किया गया। तहसीलदार, मकराना ने दिनांक 12–8–2010 को नामान्तरकरण संख्या 482 द्वारा अपीलांट्स व तुलसीदेवी के नाम राजस्व रेकार्ड में उक्त भूमि सहखातेदार के रूप में दर्ज कर दी।

उनका यह भी तर्क है कि माननीय न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक) परबतसर के निर्णय की पालना के लिए आवेदन पत्र तहसीलदार, मकराना के समक्ष देने के बाद श्रीमती तुलसी देवी की मृत्यु हो गई और तुलसी देवी ने दिनांक 18–8–2007 को एक रजिस्टर्ड वसीयत कमला देवी पत्नी रामूराम व महेश पुत्र रामूराम के नाम कर दी थी। कमला देवी व महेश ने वसीयत के आधार पर तुलसी देवी के स्थान पर उनका नाम दर्ज करने का आवेदन किया। तहसीलदार ने उक्त आवेदन ग्राम पंचायत सबलपुर को भेजा। ग्राम पंचायत ने तुलसी देवी के स्थान पर रजिस्टर्ड वसीयत में अंकित कमला देवी व महेश पुत्र रामूराम के नाम भूमि दर्ज कराने का प्रस्ताव भी पारित किया किन्तु इसी दौरान रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने नामान्तरकरण संख्या 482 दिनांक 12–8–2010 के विरूद्ध अपील अति0 जिला कलेक्टर, डीडवाना के समक्ष प्रस्तुत की जिसे उन्होने अपने निर्णय दिनांक 15–4–2011 द्वारा नामान्तरकरण संख्या 482 को निरस्त कर प्रकरण रिमाण्ड कर दिया। अति0 जिला कलेक्टर, डीडवाना ने तुलसी देवी के विरासत के बिन्दु को आधार मानते हुए पूरे नामान्तरकरण को ही निरस्त कर दिया जबकि उक्त नामान्तरकरण में तुलसी देवी के साथ अपीलांट्स भी सहखातेदार दर्ज थे जिस बाबत कोई विवाद ही नहीं था। पूरे नामान्तरकरण के निरस्त हो जाने के कारण अपीलांट्स के अधिकारों का अनावश्यक रूप से हनन हुआ है।

उनका यह भी तर्क है कि तुलसी देवी की मृत्यु के बाद उनके द्वारा अपने जीवनकाल में लिखी गई रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण में कमला देवी व महेश पुत्र रामूराम का नाम दर्ज करने की अलग से कार्यवाही ग्राम पंचायत में विचाराधीन थी। अति0 जिला कलेक्टर, डीडवाना ने ग्राम पंचात के द्वारा की गई कार्यवाही को नजरअन्दाज कर पूरे नामान्तरकरण को निरस्त कर कानूनी भूल की है। अतः उक्त तथ्यों के आधार पर अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अतिरिक्त जिला कलेक्टर, डीडवाना द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 15–4–2011 बउनवान किशन बनाम नारायण व अन्य निरस्त किया जावे एवं नामान्तरकरण संख्या 482 दिनांक 12–8–2010 को बहाल करते हुए तहसीलदार व ग्राम पंचात को निर्देश प्रदान करावे कि मृतक तुलसी देवी द्वारा तस्दीक रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 18–8–2007 के अनुसार नामान्तरकरण संख्या 482 में मृतक तुलसी देवी के स्थान पर वसीयत में अंकित कमला देवी व महेश का नाम दर्ज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलांट अभिभाषक की उक्त बहस का जवाब देते हुए अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने तर्क दिये कि माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन अपील के बावजूद भी तहसीलदार, मकराना ने दिनांक 12–8–2010 को अपीलांट संख्या 1 से 4 व तुलसी देवी के पक्ष में नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया। तहसीलदार, मकराना ने माननीय न्यायालय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश परबतसर के निर्णय दिनांक 20–4–2009 को ध्यान में नहीं रखा जाकर गैर कानूनी रूप से अपीलांट्स व तुलसी देवी के नाम स्वीकृत कर दिया जबकि तुलसी देवी की मृत्यु नामान्तरकरण की दिनांक 29–4–2009 के पूर्व ही हो चुकी थी। इस प्रकार तहसीलदार मकराना द्वारा मृतक के नाम गैर कानूनी रूप से नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया है। माननीय अति जिला न्यायाधीश परबतसर के निर्णय में नामान्तरकरण दर्ज करने के स्पष्ट आदेश नहीं है तहसीलदार ने तुलसी देवी जिसकी मृत्यु दिनांक 29–4–2009 को हो जाना मृत्यु प्रमाण पत्र से प्रमाणित है, के नाम विवादग्रस्त आराजियात दर्ज करने की स्वीकृति दिनांक 12–8–2010 को दी जो कानून के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 15–4–2011 विधिसम्मत है। अतः अपीलांट की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैंने दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी तथा तथा सम्बन्धित अभिलेख का अवलोकन व अध्ययन किया जिससे स्पष्ट होता है कि ग्राम मामडोली में स्थित विवादग्रस्त आराजियात खसरा नम्बर 177, 176 तथा 203 व 198 की कुल 33 बीघा 2 बिस्वा भूमि के मूल खातेदार रामचन्द्र थे। अपीलांट द्वारा अपील में अंकित सजरे अनुसार रामचन्द्र के तीन पुत्र क्रमशः मांगीलाल (मृतक) मन्नालाल (मृतक) पूर्णमल (मृतक) तीनों के नाम 1/3 हिस्सा दर्ज किया जाना था। रेस्पोन्डेन्ट संख्या एक पूर्णमल ने अपने जीवनकाल में मांगीलाल एवं मन्नालाल के हिस्से की भूमि को भी अपने नाम दर्ज करा लिया जबकि कानूनन उसका 1/3 हिस्से का ही वह अधिकारी था। पूर्णमल का पुत्र रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 किशनलाल व उसकी माता ने 28 बीघा भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 24–7–2006 को रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2, 3 व 4 को बेचान कर दी जबकि वह उसके पिता से प्राप्त हिस्से की आराजी को ही बेचने का अधिकारी था। उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्रों को निरस्त कराने एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु अपीलांट्स (पुत्रगण मृतक भंवरलाल) एवं तुलसी देवी (पत्नी मन्नालाल) ने एक वाद अति0 जिला न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक) परबतसर के समक्ष प्रस्तुत किया जो दिनांक 20–4–2009 को वर्तमान अपीलांट्स के पक्ष में स्वीकार किया जाकर अपीलांट्स के हिस्से की सीमा तक दोनों विक्रय पत्रों को शून्य घोषित किया गया। साथ ही तहसीलदार, मकराना द्वारा माननीय न्यायालय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश परबतसर के निर्णय दिनांक 20–4–2009 को ध्यान में नहीं रखा जाकर गैर कानूनी रूप से अपीलांट्स व तुलसी देवी के नाम स्वीकृत कर दिया जबकि तुलसी देवी की मृत्यु दिनांक 29–4–2009 को ही हो चुकी थी जबकि तहसीलदार, मकराना द्वारा नामान्तरकरण संख्या 482 दिनांक 12–8–2010 को तस्दीक किया गया है। इस प्रकार तहसीलदार मकराना द्वारा मृतक के नाम गैर कानूनी रूप से नामान्तरकरण

स्वीकृत किया गया है जो विधिसम्मत नहीं है। तहसीलदार, मकराना को विवादग्रस्त आराजियात के मूल खातेदार रामचन्द्र एवं उने पुत्रों की मृत्यु पश्चात विधिक वारिसानों की जांच कर नामान्तरकरण तस्दीक करना चाहिए था। माननीय अति जिला न्यायाधीश परबतसर के निर्णय में तहसीलदार, मकराना को नामान्तरकरण दर्ज करने के स्पष्ट आदेश नहीं दिये है तहसीलदार ने तुलसी देवी जिसकी मृत्यु दिनांक 29–4–2009 को हो जाना मृत्यु प्रमाण पत्र से प्रमाणित है, के नाम विवादग्रस्त आराजियात राजस्व रेकार्ड में दर्ज करने की स्वीकृति दिनांक 12–8–2010 को दी जो कानून के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अधिनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना द्वारा अपीलांट्स एवं तुलसी देवी की मृत्यु के पश्चात उसके विधिक वारिसानों की जांच कर दोनों पक्षकारों को सुनकर व साक्ष्य के आधार पर एवं न्यायालय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश परबतसर के निर्णय दिनांक 20–4–2009 या अन्य उच्च न्यायालय के निर्णय/आदेशों के परिप्रेक्ष्य व पालनाओं में विधिवत निर्णय पारित करने हेतु तहसीलदार, मकराना को प्रकरण प्रतिप्रेषित किया है जो विधिसम्मत होने से उसमें किसी प्रकार से हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विशलेषण के आधार पर अपीलांट की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से निरस्त की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय न्यायालय (अतिरिक्त जिला कलक्टर) डीडवाना द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 15–04–2011 अपील संख्या 31/2010 बउनवान किशन बनाम नारायणराम विधिसम्मत होने से यथावत कायम रखा जाता है। उक्त निर्णय की प्रति दोनों पक्षकारों को दी जावे।

(हनुमान सहाय मीना)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर